RBE No. 180/2000

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAYBOARD)
****

No.E(NG)I-98/PM20/1 New Delhi, dated 16-10-2000

The General Managers (P),
All Indian Railways and
Production Unit.
(As per standard list).

Sub:-Eligibility for filling up the promotional quota for the post of Law Assistant Gr. Rs.6500-10500.

In terms of Para 131 (1) (ii) and (2) (iii) of Indian Railway Establishment Manual (Vol.I, 1989 Edition), 66-2/3% of the posts in the category of Law Assistant in the pay scale of Rs.6500-10500 are filled by promotion by selection from amongst serving employees with at least 5 years service and possessing a Degree in Law, irrespective of the department in which they may be working.

2. The existing method as indicated above does not specify the grades from which the serving staff would be eligible and there is no uniformity in this regard on the Railways/PUs. The Ministry of Railways have since considered the matter in consultation with both the Federations and it has been decided that serving employees in grades lower than the grade Rs.6500-10500 having 5 years regular service in Group C and possessing a Degree in Law, irrespective of the department in which the eligible employees may be working, should be eligible to appear in the selection for promotion against 66-2/3% of the posts in the category of Law Assistant grade Gr. Rs.6500-10500.

3. The Indian Railway Establishment Manual may also be amended accordingly as in Advance Correction Slip No. 110 enclosed.

(This also disposes of DLW's letter No P .W/P/27/180/59E /PBR/ Law Assistant dated 2.2.99)

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

DA : ACS No. 110.

..........2/-

No.E(NG)I-98/PM20/1 New Delhi, dated 16-10-2000

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All India Railwaymen Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E , Rail Bhavan, New Delhi(with 35 spares).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR,MSR(D),MSR(OR)

PPSs to CRB, FC,MS,MM,MT,ML,ME.

PPSs to AM(S),DG/RHS,DG/RPF

PSs to EDE, EDA, ED(Health), EDE(N), EDE(Res), EDA, EDE(RRB), EDPC-I&II, D(MPP), DPC, DE(Res), JDE(R)I&II, JDE(Rep), JDE(Rep)I&II, JDE(D&A), JD(H), DD(Heath), JDPC, JDE(L), DD(Code Revision), DDE(LR)I, JDE(N),JDE(N)II, JDE(N)III, E(NG)II, E(O)III, E(GR)II, E(Rep)I,II&III, Health Branch, PC-III,IV&V, E(SCT)I&II, E(MPP), SEC(E), PR Branch, E(G) with two spares, Code Revision Cell (with 5 spares).

…………

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL,
VOLUME-I (1989 EDITION)

ADVANCE CORRECTION SLIP NO..110....

Chapter-I, Section-B, Sub-section III -Recruitment and Training.

In Para 131 substitute the following for the existing sub-para (2)(iii):-

"(iii) Qualifications for Promotees:-The remaining quota of 66-2/3% of posts should be filled by promotion, on the basis of selection, of serving employees in grades lower than the grade of Rs.6500-10500, having 5 years regular service in Group C and possessing a Degree in Law, irrespective of the department in which the eligible employees may be working. The shortfall against promotion quota, if any, will be filled by direct recruitment."

(Authority : Ministry of Railways' letter No.E(NG)I-98/PM20/1 dt.16.10.2000)

आर बी ई सं0 180 /2000

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई (एन जी) I-98/पी एम 20/1 नई दिल्ली, दिनांक 16.10.2000

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने,
(मानक सूची के अनुसार).

विषय:- विधि सहायक ग्रेड 6500-10500 रू0 के पदोन्नति कोटा के पदों को भरने के लिए पात्रता.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली (जिल्द-I, 1989 संस्करण) के पैरा 131 (1) (ii) तथा (2) (iii) के अनुसार, 6500-10500 के वेतनमान में विधि सहायक की कोटि के पदों का 66-$\frac{2}{3}$ प्रतिशत, उन सेवारत कर्मचारियों में से, जो कम से कम 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों और विधि में स्नातक हों, भले ही वे किसी भी विभाग में कार्यरत हों, चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा.

2. अब विनिर्दिष्ट मौजूदा पद्धति उन ग्रेडों का उल्लेख नहीं करती जिनमें कार्य करते हुए सेवारत कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे तथा रेलों/उत्पादन कारखानों में इस संबंध में एकरूपता नहीं है. रेल मंत्रालय ने दोनों फेडरेशनों से परामर्श कर इस मामले पर विचार कर लिया है और यह विनिश्चय किया गया है कि 6500-10500रू के ग्रेड से निम्नतर ग्रेड में वे सेवारत कर्मचारी जिन्होंने समूह "ग" में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो विधि में स्नातक हों, भले ही वे पात्र कर्मचारी किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों, 6500-10500 के ग्रेड में विधि सहायक की कोटि के पदों के 66-$\frac{2}{3}$ प्रतिशत पदों के लिए पदोन्नति हेतु चयन में भाग लेने के पात्र होंगे.

--2/-

3. भारतीय रेल स्थापना नियमावली को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं0 110 के अनुसार संशोधित किया जाए.

(इससे डीरेका के दिनांक 2.2.99 के पत्र सं0 डी एल डब्ल्यू/पी/27/180/59 ई/पी बी आर/लॉअसिस्टेंट का निपटारा किया जाता है)

(जे. एस. गुसाई)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं0 110

सं0 ई(एन जी)I-98/पी एम 1/20/1 नई दिल्ली, दिनांक 16.10.2000

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. महासचिव, आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं0 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं0 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, फेडरेशन आफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं0 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं0 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (डी), रेल राज्य मंत्री (ओ आर) के निजी सचिव, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य बिजली, सदस्य इंजीनियरी के प्रमुख निजी सचिव तथा अन्य.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली,

जिल्द-I (1989 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं0-110

अध्याय-I, खंड-ख, उप-खंड III-भर्ती एवं प्रशिक्षण.

पैरा 131 में मौजूदा उप-पैरा (2)(iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(iii) पदोन्नत कर्मचारियों के लिए अर्हताएं:- शेष 66-$\frac{2}{3}$ प्रतिशत पदों का कोटा 6500-10500रु0 के ग्रेड में उन सेवारत विधि स्नातकों से जो समूह"ग" में नियमित रूप से 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, चाहे वे किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों, चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा. पदोन्नत कोटा में शेष रह गए रिक्त पद, यदि कोई हो, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे.

(प्राधिकार: रेल मंत्रालय के दिनांक 16.10.2000 का पत्र सं0 ई(एन जी) I-98/पी एम1/20/1)